

**कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।****पत्रांक-1337 /12-1(2) दिनांक, देहरादून, 23 नवम्बर 2021**

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फॉरेस्ट कॉलोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय: देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या-1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में।
(Online No. FP/UK/SCH/40755/2019)

सन्दर्भ: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून की पत्र सं0-8बी/यू0सी0पी0/09/08/2021/एफ0सी0/265 दिनांक 29.06.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव संख्या-FP/UK/SCH/40755/2019 पर आपके द्वारा लगाई गई ऑनलाईन आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून के पत्रांक 1746/12-1 दिनांक 17.11.2021 से प्राप्त सूचना के आधार पर निम्न प्रकार प्रेषित किया जा रहा है :-

क्र0सं0	आपत्ति का विवरण	प्रत्युत्तर
1	विद्यालय भवन निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था, अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में प्रमाण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के वर्तमान भवन का निर्माण आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या-1 में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) द्वारा करवाया गया था। आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) को राज्य सरकार द्वारा यह भूमि वर्ष 1964 में प्रदान की गयी थी। आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा उसी समय आवश्यकता के अनुसार आवासीय कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, स्कूल एवं अन्य सामाजिक संस्था के लिए भवन का निर्माण तत्कालीन वन अधिनियम के तहत किया गया था। आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा तत्समय उक्त केन्द्रीय विद्यालय को परियोजना विद्यालय (Project school) के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। वर्ष 2001 में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के वित्तीय संकट के कारण उक्त विद्यालय को बंद कर दिया गया था, परन्तु जन आन्दोलनों एवं जनता के दबाव के कारण वर्ष 2003 में पुनः सिविल सेक्टर के तहत इस विद्यालय को खोला गया था, तब से आज तक यह विद्यालय सिविल सेक्टर के अन्तर्गत उक्त भूमि पर ही संचालित हो रहा है।
2	तत्समय विद्यालय निर्माण हेतु कितनी भूमि आवंटित की गयी थी, अतः राज्य शासन द्वारा उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रेषित किये जाये।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा वर्ष 1978 में उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु 2.41 हेक्टेयर भूमि दी गयी थी। वर्तमान में इसी भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। तत्समय प्रश्नगत विद्यालय निर्माण के दृष्टिगत आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा मानचित्र प्रदान किया गया था (छायाप्रति संलग्न)। इसके अतिरिक्त अवगतनीय है कि वर्तमान में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) तथा केन्द्रीय विद्यालय के कार्यालय में अभिकथित भूमि/विद्यालय भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

क्र०सं०	आपत्ति का विवरण	प्रत्युत्तर
3	यदि पहाड़ी क्षेत्र के नॉर्मस (1.62 है०) से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह शेष भूमि हेतु गैर वन क्षेत्र का चयन करने का कष्ट करें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्रीय विद्यालय जो आई०डी०पी०एल० (वीरभद्र) में आई०डी०पी०एल० (वीरभद्र) के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुराने भवन में संचालित है, जिसका क्षेत्रफल 2.41 है० है। वर्तमान भूमि ही उक्त विद्यालय भवन के लिए सर्वदा उपयुक्त है एवं इसका क्षेत्रफल केन्द्रीय विद्यालय संगठन के न्यूनतम भूमि की मांग (अर्बन क्षेत्र के लिए 5 है०) को पूरा करता है। संज्ञानार्थ है कि 1.62 है० में उक्त विद्यालय भवन का प्रस्तावित निर्माण किया जाना सम्भव नहीं होगा।

अतः उक्तानुसार आख्या मय अभिलेखों के अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

संलग्नक - उपरोक्तानुसार।

(अखिलेश तिवारी)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांक 1337 / 121(2) तददिनांकित

प्रतिलिपि :- प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग को उनके उपरोक्त उल्लिखित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अखिलेश तिवारी)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 1746/12-1

देहरादून, दिनांक : 17 नवम्बर, 2021

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय: देहरादून वन प्रभाग के अन्तर्गत ऋषिकेश के आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या-1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र सं0-8बी/यू0सी0पी0/09/08/2021/ एफ0सी0/265, दिनांक 29-06-2021.

महोदय,

उपरोक्त विषयगत प्रस्ताव पर सन्दर्भित पत्र के माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों के क्रम में प्रस्तावक विभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1392350/L&B/2021-22/KVR दिनांक 29 अक्टूबर, 2021 (सलग्न) के द्वारा बिन्दुवार प्रत्युत्तर निम्न प्रकार प्रेषित किया गया है :-

क्रमांक	आपत्ति का विवरण	प्रत्युत्तर
1	विद्यालय भवन निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था, अतः राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह इस सम्बन्ध में प्रमाण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करें।	केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के वर्तमान भवन का निर्माण आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या-1 में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) द्वारा करवाया गया था। आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) को राज्य सरकार द्वारा यह भूमि वर्ष 1964 में प्रदान की गयी थी। आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा उसी समय आवश्यकता के अनुसार आवासीय कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, स्कूल एवं अन्य सामाजिक संस्था के लिए भवन का निर्माण तत्कालीन वन अधिनियम के तहत किया गया था। आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा तत्समय उक्त केन्द्रीय विद्यालय को परियोजना विद्यालय (Project school) के अन्तर्गत स्थापित किया गया था। वर्ष 2001 में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के वित्तीय संकट के कारण उक्त विद्यालय को बंद कर दिया गया था, परन्तु जन आन्दोलनों एवं जनता के दबाव के कारण वर्ष 2003 में पुनः सिविल सेक्टर के तहत इस विद्यालय को खोला गया था, तब से आज तक यह विद्यालय सिविल सेक्टर के अन्तर्गत उक्त भूमि पर ही संचालित हो रहा है।
2	तत्समय विद्यालय निर्माण हेतु कितनी भूमि आवंटित की गयी थी, अतः राज्य शासन द्वारा उससे सम्बन्धित अभिलेख प्रेषित किये जाये।	आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा वर्ष 1978 में उक्त विद्यालय के निर्माण हेतु 2.41 हेक्टेयर भूमि दी गयी थी। वर्तमान में इसी भूमि के हस्तान्तरण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है। तत्समय प्रश्नगत विद्यालय निर्माण के दृष्टिगत आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) के द्वारा मानचित्र प्रदान किया गया था, जो अवलोकनार्थ किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त अवगतनीय है कि वर्तमान में आई0डी0पी0एल0 (वीरभद्र) तथा केन्द्रीय विद्यालय के कार्यालय में अभिकथित भूमि/विद्यालय भवन निर्माण से सम्बन्धित अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है।

3	यदि पहाड़ी क्षेत्र के नॉर्मस (1.62 है०) से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार से अनुरोध है कि वह शेष भूमि हेतु गैर वन क्षेत्र का चयन करने का कष्ट करें।	केन्द्रीय विद्यालय जो आई०डी०पी०एल० (वीरभद्र) में आई०डी०पी०एल० (वीरभद्र) के द्वारा उपलब्ध कराये गये पुराने भवन में संचालित है, जिसका क्षेत्रफल 2.41 है० है। वर्तमान भूमि ही उक्त विद्यालय भवन के लिए सर्वदा उपयुक्त है एवं इसका क्षेत्रफल केन्द्रीय विद्यालय संगठन के न्यूनतम भूमि की मांग (अर्बन क्षेत्र के लिए 5 है०) को पूरा करता है। संज्ञानार्थ है कि 1.62 है० में उक्त विद्यालय भवन का प्रस्तावित निर्माण किया जाना सम्भव नहीं होगा।
---	---	---

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : (1)/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि : प्रधानाचार्य, केन्द्रीय विद्यालय, ऋषिकेश को उनके उक्त उद्धरित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।



केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश

KENDRIYA VIDYALAYA RISHIKESH

CBSE Affiliation No : 1500034 School Code: 84070

Phone No. / दूरभाष : 0135 2971117

Website: <https://rshikesh.kvs.ac.in> Email: kvrishikesh.ppl@gmail.com



दिनांक: 29 अक्तूबर, 2021

F-1392350/L&B/2021-22/KVR

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी

वन संरक्षक, इंदिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी,

देहरादून, उत्तराखण्ड

विषय :- फाइल संख्या :- S.बी. यू.सी.पी./09/08/2021/एफ. सी. /265 में उप महानिरीक्षक, वन (के.) के द्वारा मांगे गए जानकारी के सम्बन्ध में -

सन्दर्भ :- जनपद देहरादून वन प्रभाग के अंतर्गत ऋषिकेश के आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या -1 में पूर्व से चल रहे केन्द्रीय विद्यालय के भवन निर्माण हेतु 2.41 हे० वन भूमि का नवीनीकरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में | (online no. FP UK SCH 40755 2019)

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मागी गयी जानकारी के सम्बन्ध में आपको निम्न सूचना उपलब्ध करानी है :-

1. विद्यालय भवन का निर्माण वर्ष 1978 में किया गया था, अतः राज्य सरकार से ये अनुरोध है की वह इस संबंध में प्रमाण हेतु अभिलेख प्रस्तुत करे।

महोदय, केन्द्रीय विद्यालय ऋषिकेश के वर्तमान भवन का निर्माण आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) परिसर कक्ष संख्या -1 में आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) द्वारा करवाया गया था। आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) को राज्य सरकार द्वारा यह भूमि उनको 1964 में प्रदान की गयी थी। आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) के द्वारा उसी समय आवश्यकता के अनुसार आवासीय कॉलोनी, पोस्ट ऑफिस, स्कूल एवं अन्य सामाजिक संस्था के लिए भवन का निर्माण तत्कालीन वन अधिनियम के तहत किया गया था।

आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) के द्वारा उसी समय केन्द्रीय विद्यालय के साथ विद्यालय को परियोजना विद्यालय (project school) के अंतर्गत स्थापित किया गया था। वर्ष 2001 में आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) की वित्तीय संकट के कारण इसे बंद कर दिया गया था परंतु जन आन्दोलन एवं जनता के दबाव के कारण इसे 2003 में पुनः सिविल सेक्टर के तहत विद्यालय को खोला गया था। तब से आज तक ये विद्यालय सिविल सेक्टर के अंतर्गत में वर्तमान विद्यालय भूमि में संचालित हो रहा है।

2. ~~राज्य~~ विद्यालय निर्माण हेतु कितनी भूमि आवंटित की गई थी, अतः राज्य सरकार द्वारा उससे सम्बंधित अभिलेख प्रेषित किया जाये।

महोदय, आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) के द्वारा 1978 में विद्यालय निर्माण के समय 2.41 हेक्टेयर भूमि विद्यालय को दी गयी थी

वर्तमान में इसी भूमि के हस्तांतरण हेतु प्रस्ताव विचाराधीन है।

आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) के द्वारा प्रदान किया गया मानचित्र संलग्न है। अवगतनी है की आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) व विद्यालय के पास उक्त भूमि से सम्बंधित अन्य कोई अभिलेख संघारित नहीं है।

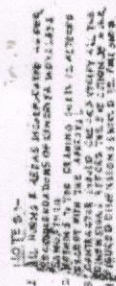
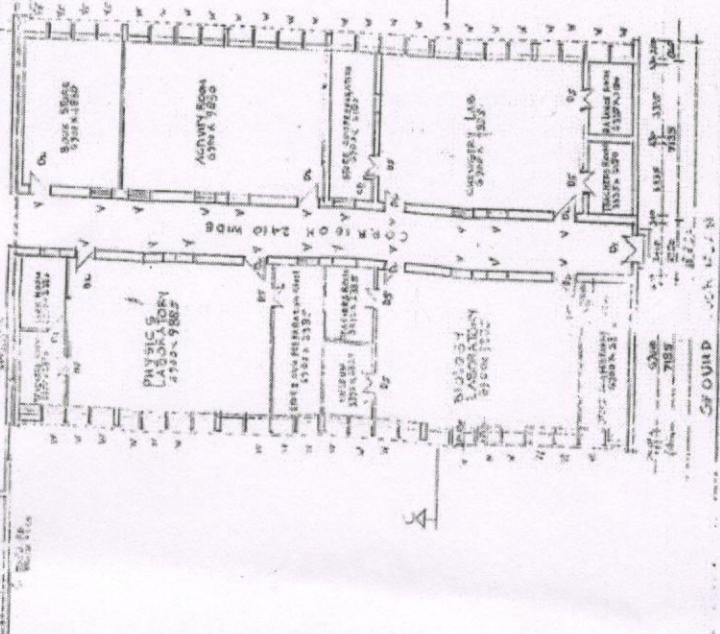
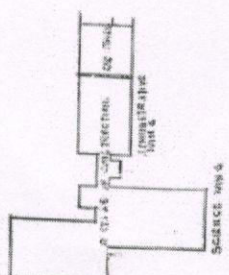
3. यदि पहाड़ी क्षेत्र के नोर्म्स (1.62 हेक्टेयर) से अधिक क्षेत्र की आवश्यकता हो तो राज्य सरकार से अनुरोध है की वह शेष भूमि हेतु गैर-वन क्षेत्र का चयन करने का कष्ट करे।

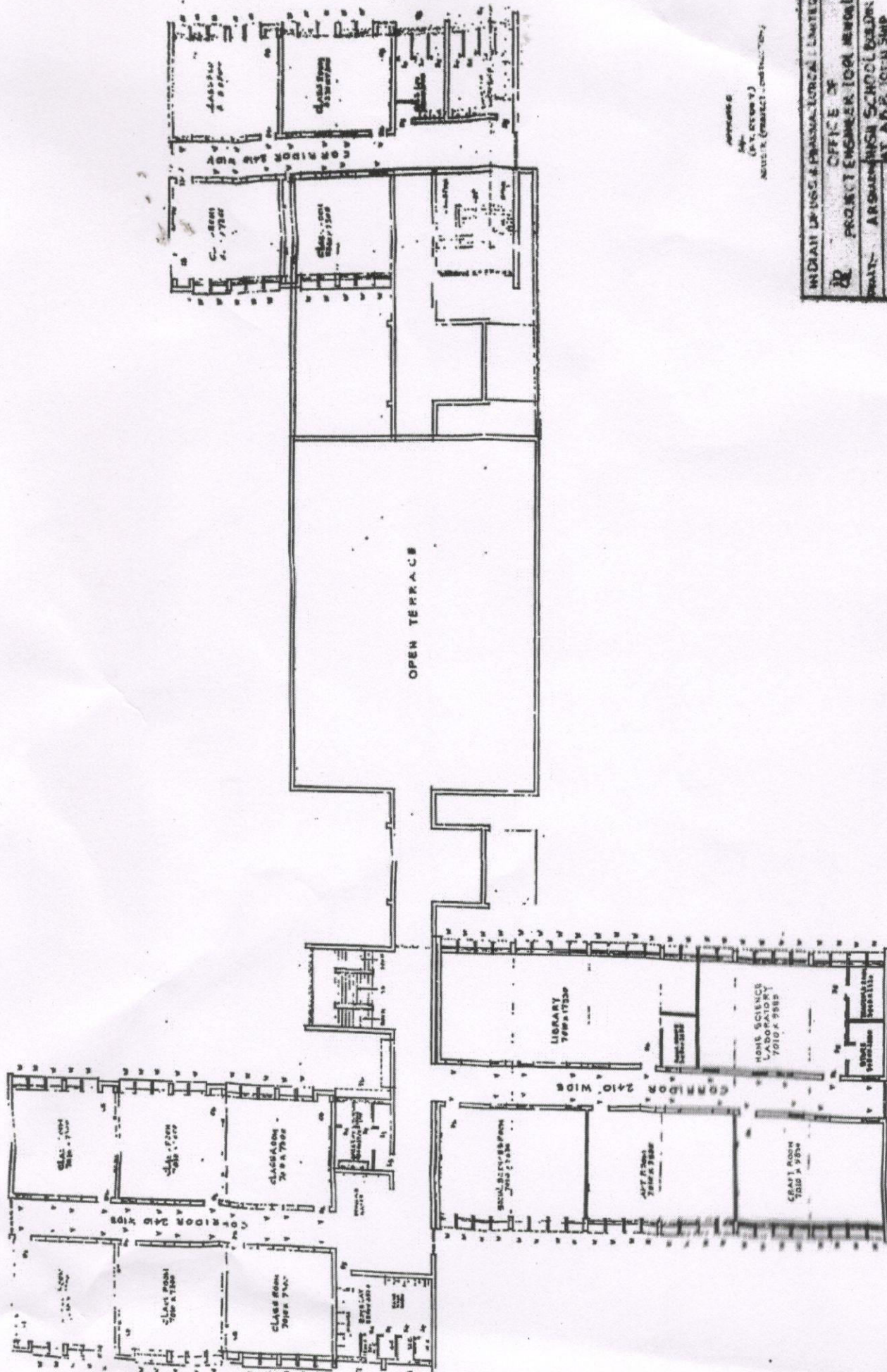
महोदय,

वर्तमान केंद्रीय विद्यालय जो की आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) में आई० डी० पी० एल० (वीरभद्र) के द्वारा उपलब्ध कराये गए पुराने भवन में संचालित है जिसका क्षेत्रफल 2.41 हेक्टेयर है। वर्तमान भूमि ही विद्यालय भवन के लिए सर्वदा उपयुक्त है एवं इसका क्षेत्रफल केंद्रीय विद्यालय संगठन के न्यूनतम भूमि की माँग (अर्बन क्षेत्र के लिए 5 हेक्टेयर) को पूरा करता है। इसके लिए माननीय तत्कालीन DC, देहरादून, DFO देहरादून एवं केंद्रीय विद्यालय प्राचार्या के द्वारा पत्र संकलित किया जा चुका है 1.62 हेक्टेयर के अतिरिक्त निर्धारित भूमि कही और चयन करने से विद्यालय के पठन - पाठन में समस्या उत्पन्न हो सकती है एवं विद्यालय के लिए अतिरिक्त अन्य जरूरी सुविधा का विस्तारण में भी समस्या हो सकती है। अतः आपसे निवेदन है की विद्यालय में पढ़ रहे एवं आगे भी भविष्य के संभावित छात्र - छात्रों को की सुविधा एवं उनके सर्वांगिक विकास के लिए वर्तमान भूमि को एक साथ प्रदान करने की कृपा करे

सुधा गुप्ता

प्राचार्या
के. वि. ऋषिकेश

[illegible]



Architect
 (P. T. K. S. S. S.)
 Architect (P. T. K. S. S. S.)

INDIAN LENSES & PHARMACEUTICALS LIMITED	
PROJECT ENGINEER FOR MANGALURU	
PROJECT	ARGUMENTS SCHOOL BUILDING
LOCATION	AT A. R. JOTUN SHIP
DATE	1977
SCALE	1/4" = 1'-0"
NO.	100
FIRST FLOOR PLAN	

FIRST FLOOR PLAN

F.No. 55017(4)/2015-PI-IV
Government of India
Ministry of Chemicals & Fertilizers
(Department of Pharmaceuticals)

Shastri Bhawan, New Delhi
Dated the 17th March, 2015

To

Shri Praveen Kumar
C.M.D.
Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd.
Scope Complex, Core - 6, 1st Floor, 7 Lodhi Road,
New Delhi-110003

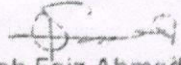
Sub:- No Objection Certificate for Kendriya Vidyalaya Sangathan through Govt. of Uttarakhand.

Sir,

I am directed to refer to the letter of Additional Chief Secretary, Government of Uttarakhand No. 363/XXIV-3/2015-02(24)/2014 dated nil regarding issuance of 'No Objection Certificate' for allotment of IDPL land of Rishikesh Plant in IDPL for Kendriya Vidhyalaya Sangathan.

2. On the basis of No Objection issued by IDPL vide its letter No. 11009(15)/2015-IDPL/1646 dated 4th March, 2015, the Department has decided to issue 'No Objection Certificate' in this matter

Yours faithfully


(Shah Faiz Ahmed)
Section Officer
Telefax No. 23389693

Copy to:-

1. The Additional Chief Secretary
Government of Uttarakhand,
Uttarakhand
Dehradun (w.r.t. their letter No. 363/XXIV-3/2015-02(24)/2014 dated nil)
2. Shri Piya Thakur
Deputy Commissioner,
Kendriya Vidyalaya Sangathan,
Dehradun
Uttarakhand-245001 (w.r.t. their letter No. F.21-17/L&B/11-KVS/DDR/2106/ dt. 23.2.15)
3. PPS to Hon'ble Union Minister,
Ministry of Human Resource & Development
Shastri Bhawan, New Delhi (w.r.t. their D.O. letter No. 1-28/2003-KVS(Admn.I))

C/C

Received

16/3

1-1-3-15